

मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 07/03/2023

क्र. एफ 16-17/2022/ए-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स रमणीक पाँवर एंड एलॉयज प्रायवेट लिमिटेड द्वारा ग्राम सरंडी, तहसील वारासिवनी, जिला बालाघाट में रूपये 168.00 करोड़ के स्थाई पूंजी निवेश से सिलिको एलॉय निर्माण हेतु इकाई के विस्तार कार्यक्रम अंतर्गत यूनिट - 2 की स्थापना संबंधी प्रस्ताव (DIPIP 23330) पर निम्नानुसार सुविधायें दी जाये -

1. निवेश प्रोत्साहन सहायता - उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित) में प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता, परियोजना अन्तर्गत यंत्र-संयंत्र तथा भवन में किये गये निवेश पर शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाये।
2. विद्युत टैरिफ में रियायत - इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 07 वर्ष हेतु प्रचलित विद्युत दर पर रूपये 1/- प्रति यूनिट की छूट दी जाये। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह छूट विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत टैरिफ पर दी जा रही छूट, यदि कोई हो तो, के अतिरिक्त होगी। उक्त छूट की प्रतिपूर्ति एमपीआईडीसी द्वारा संबंधित इकाई को की जाये।
3. विद्युत शुल्क से छूट - इकाई द्वारा लिये गये नवीन विद्युत कनेक्शन पर उत्पादन प्रारंभ दिनांक से 10 वर्ष हेतु विद्युत शुल्क से छूट प्रदान की जाये।
4. सुविधाओं की अधिकतम सीमा- इकाई को स्वीकृत समस्त सुविधायें बिना किसी अधिकतम सीमा के प्राप्त हो सकेंगी।
5. परियोजना को उद्योग संवर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित) अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ विहित शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगी।
6. परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक से, प्रतिबद्ध निवेश के साथ, 3 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जाये।
7. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार


(मनीष सिंह)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन


औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

निरंतर

पृ. क्र. एफ 16-17/2022/ए-ग्यारह
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 07/03/2023

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
 2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग/सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
 3. आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर ।
 4. कलेक्टर, जिला बालाघाट।
 5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
 6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, डायरेक्टर, मेसर्स रमणीक पाँवर एंड एलॉयज प्रायवेट लिमिटेड, मेन रोड जिला बालाघाट।
- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग